समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ –सह– निर्वाची पदाधिकारी, कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पत्रांकः 3971/निर्वा0, दिनांकः 04.09.2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में शीर्ष 2015–निर्वाचन–106–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार–0002– राज्य विधान परिषद् निर्वाचन की 11 01 यात्रा व्यय ईकाई एवं 13 01 कार्यालय व्यय ईकाई मांग संख्या–06 विपत्र कोड संख्या N2015001060002 के अन्तर्गत बिहार विधान परिषद् के कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कार्यो के लिए क्रमशः ₹9,325.00/– (नौ हजार तीन सौ पचीस रुपये) एवं ₹1,37,200.00/– (एक लाख सैंतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र आवंटन प्राप्त हुए हैं। जिसे निम्न प्रकार स्तम्भ (2) में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ (3) एवं (4) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	उप आवंटित राशि (रूपये में)		कुल राशि
		कार्यालय व्यय	यात्रा व्यय	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	1,37,200.00	9,325.00	1,46,525.00
	योगः–	**1,37,200.00**	**9,325.00**	**1,46,525.00**

2 उप आवंटित राशि का व्यय शीर्ष– 2015–निर्वाचन–106–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार–0002–राज्य विधान परिषद् निर्वाचन की 11 01 यात्रा व्यय ईकाई एवं 13 01 कार्यालय व्यय ईकाई में वित्तीय वर्ष 2014–15 में मूल उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3 उप आवंटित राशि मांग संख्या–06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड–N2015001060002 है ।

4 यह राशि वित्त विभाग के पत्रांकः एम0–4–05/98/2561 वि(2) दिनांकः 17.04.1998 एवं पत्रांकः –व–17/वी0 एस0 जी0 07/2014–253/वि0 दिनांकः 11.03.2014 एवं पत्रांकः –ब–17/बी0 एस0 जी0 07/2014–310 दिनांक 28.03.2014 के आलोक में उप आवंटित है ।

5 वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्तीय नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस उप आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा ।

6 यह राशि बिहार विधान परिषद् के कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन, 2014 से संबंधित कार्यों पर हुए व्यय के भुगतान हेतु उपावंटित है। तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

7. किसी भी परिस्थिति में उप–आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाये। यह सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। इस उप आवंटित राशि का व्यय मात्र कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन, 2014 से संबंधित कार्यों पर किया जायेगा। पूर्व के वर्षों का बकाया भुगतान करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बिना इस राशि से किसी बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. उप आवंटित राशि का भुगतान किये जाने के पूर्व संबंधित फर्म/व्यक्ति से नियमानुसार आयकर/ बिक्रीकर/ वैट (VAT) की कटौती करते हुए संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाय ।

9. भुगतान पाने वाले प्रतिष्ठान/व्यक्ति यदि सेवाकर प्रदाता हैं तो उनके विपत्र पर सेवाकर निबंधन संख्या/ सेवाकर कोड एवं लेखा कोड अंकित है या नहीं इस संबंध में सुनिश्चित होने के पश्चात् ही भुगतान किया जाये।

10. उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्वाचन विभाग, को भेजते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी अवलोकनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

ह0 / –

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः 1932 / नि0, दिनांकः 07/11/14

प्रतिलिपिः कोशागार पदाधिकारी, मुंगेर / उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7.11.14

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।